

18/12



बिहार, BIHAR

नित्यानन्द शर्मा वरु रामकृष्ण शर्मा  
अकरेडी-पारसिया-सिवान  
2/12/2014  
2014  
विहार सरकार  
जिला निबंधन कार्यालय, सीवान

U 449071  
Deed No. 216

डा. सत्येन्द्र कुमार  
मुद्रांक दिवस 1/1/83  
जिला गिठ कर्पाठ, सिवान

पुष्पांकन का सारांश  
दिनांक 29/12/2014 को Nityanand Sharma द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु० 5000 मुद्रांक शुल्क एवं रु० 1395 निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज प्राप्य पाया गया। जिन के व्यक्तियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया। उनमें तथा उनके पहचानपत्रों के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं०-216 के रूप में मुद्रांक सं० 4 की जिल्द सं० 4 के पृष्ठ सं० 103 से 120 तक CD 1 में आज निबंधित एवं कुल 18 पृष्ठों में संधारित किया गया।

दिनांक- 29/12/2014

दस्तावेज नं. 15335/2014

राजन कुमार गुप्ता  
निबंधन पदाधिकारी



स्वी. नित्यानन्द शर्मा  
जिला गिठ कर्पाठ, सिवान

रामकुमारी शोसल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट

यह न्यास पत्र आज दिनांक 29/12/2014 को स्थान, सिवान (बिहार) के द्वारा श्री नित्यानन्द शर्मा, पिता- स्व. राकेश शर्मा, ग्रा०- अकरेडी, पो०- कंबटलीया, थाना- दरौली, सिवान (बिहार) संस्थापक है जो कि ट्रस्ट के संस्थापक/ट्रस्टी सदस्य के नाम से जाने जाएंगे।

नित्यानन्द शर्मा  
Manager  
R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

Principal  
R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

**District Registry Office, Siwan Sadar**

Token Number 15335      Reg. Year 2014      Serial Number 15143      Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
Presented By	Nityanand Sharma नित्यानंद शर्मा 29/12/14					
Trustee	Girja Shankar Mishra गिरिजा शंकर मिश्रा 29/12/14					
Trustee	Dharmawati Devi धर्मवती 29/12/14					
Trustee	Lal Babu Sharma Lal Babu Sharma 29/12/2014					
Trustee	Phul Kumari Devi फुल कुमारी देवी 29/12/14					
Trustee	Rajkumar Kumar Rajbhar राज कुमार 29/12/14					
Trustee	Sunita Devi सुनीता देवी 29/12/14					
Identified By	Rajesh Rajak राजेश राजक 29/12/2014					



नित्यानंद शर्मा  
 29/12/2014  
**R.B.S PUBLIC SCHOOL**  
 Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

Beeta  
 Principal  
**R.B.S PUBLIC SCHOOL**  
 Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)



बिहार BIHAR



क्रम संख्या विक्रय की मुद्रांक का मूल्य  
 ६०५५ तारीख मूल्य दर्ज की शीट क्रेता का नाम  
 २१/१२/२०१६ दिनांक १२००७ एवम् पता

U 449012

ठाकुर सत्येन्द्र कु  
 मुक्त विक्रेता ला० नं० १/  
 जिला नि० कार्या०, सिवा

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख-शान्ति, संगठन, सद्भाव एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाए तथा उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए। इसके निमित्त प्रारंभ मुद्रा-51,000/-रुपया (एकावन हजार रुपये केवल) प्रदान करते है जो कि मैं निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

1. न्यास का नाम : राम कुमारी शोसल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : ग्राम- टाडवा-परिसया, पो०- टाडवा-परिसया थाना- दरौली, जिला- सिवा (बिहार)
3. न्यास का कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा।

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए और उनके आय से बिना किसी प्रकार के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की उद्देश्य इसमें कोई भी एसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।

R.S. PUBLIC SCHOOL  
 Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)



R.S. PUBLIC SCHOOL  
 Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



बिहार BIHAR



क्रम संख्या विक्रय की मुद्रांक का मूल्य  
६०x६ तारीख मूल्य वर्ग की शीट क्रेता का नाम  
२१/१२/२०१४ सहित १०००/- एवम पत्तों

U 449074

ठाकुर सत्येन्द्र कुमार  
मुद्रांक विक्रेता ला0 नं0 1/83  
जिला नि0 कार्या0, सिवान

3. राजकुमार कुमार राजभर  
पिता- गुली भर

ग्रा0- कल्याणी  
पो0- घिताखाल  
थाना- गुठनी  
जिला- सिवान

समाज सेवा ट्रस्टी कोषाध्यक्ष

राज कुमार  
29/12/2014

Handwritten signature and date: 29/12/2014

4. गीरजा शंकर मिश्र  
पिता- स्व0 फुलेना मिश्र

ग्रा0- टाड़वां परसिया  
पो0- टाड़वां परसिया  
थाना- दरौली  
जिला- सिवान

समाज सेवा ट्रस्टी सदस्य

गीरजा शंकर मिश्र  
29/12/2014

5. फुलकुमारी देवी  
पति- नित्यानन्द शर्मा

ग्रा0- उकरेडी  
पो0- केवटसिवा  
थाना- दरौली  
जिला- सिवान

समाज सेवा ट्रस्टी सदस्य

फुलकुमारी देवी  
29/12/2014

6. धर्मावती देवी  
पति- सादानन्द शर्मा

ग्रा0- गुठनी  
पो0- गुठनी

समाज सेवा ट्रस्टी सदस्य

धर्मावती देवी  
29/12/2014

नित्यानन्द शर्मा  
Manager  
R.B.S PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Sivani)

Principal  
R.B.S PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Sivani)

सुनीता देवी  
पति- शिवानन्द शर्मा

गा0- उकरेडी  
पो0- कंवटलीया  
थाना- दरौली,  
जिला- सिवान

समाज सेवा ट्रस्टी सदस्य

सुनीता देवी

29/12/2014

उपर्युक्त समस्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए संस्थापक/अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे और इसके आय से बिना किसी पक्षताप के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिसमें किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेय हो

### न्यास का ज्ञापन

1. न्यास का नाम : राम कुमारी शोसल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : गा0- टाड़वां परसिया  
पो0- टाड़वां परसिया  
थाना- दरौली  
जिला- सिवान

#### 3. ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य :-

1. ट्रस्ट द्वारा आई0टी0आई (यन0सी0वी0टी0), पारा मेडिकल, मेडिकल कॉलेज फारेमसी कॉलेज का संचालन किया जायेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा समाज में बयाप्त निरक्षरता के उन्मलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। सभी प्रकार के शिक्षा संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आवासीय विद्यालय एवं विभिन्न प्रकार के विद्यालयों का संचालन किया जायेगा। जिससे मेधावी गरीब छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।
3. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, आदिवासियों के आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा।
4. शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वालम्बी बनाने हेतु टंकन कला, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी, संस्थान का संचालन करना।

R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

Principal  
R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

शिवानन्द शर्मा  
29/12/2014

5. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल-विवाह, वेश्यावृत्ति दहेज प्रथा, नशाखोरी सम्प्रदाय वाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। अदर्श विवाह एवं अनर्तजातिय, विवाह को प्रोत्साहित करना।
6. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय का हर सम्भव सहयोग करना।
7. पर्यावरण का प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।
8. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य, संगित, वाद्य का प्रशिक्षण देना।
9. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी, कालाजार, हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर पर कार्य करना।
10. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक, विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपान, डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।
11. उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट, सौर उर्जा, उर्ज के गैर पारम्परिक स्रोत की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।
12. पंचायती राज, वयस्क मताधिकार मानवधिकार उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।
13. नेत्रहीन, मूक, बाधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों, लोगों ने शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करतां उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।
14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप तालाब, पोखरा आदि उपलब्ध कराना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
15. बेसहारा पशुओं की देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना हेतु अभियान चलायें।

निम्न-5 रजि. 09/12/014



R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

Principal  
R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

16. अनाथ बच्चों, वृद्धों विधवाओं, येश्याओं, प्रताड़ित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थाल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बाल-श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा भोजन, एवं पुनवास सेवा गृह की व्यवस्था करना।
17. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक आहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।
18. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई बुनाई, पेन्टिंग मधुबनी पेन्टिंग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।
19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों का जागरूक करना जातीय भेद-भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।
20. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का निदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

नियोग-52118  
29/12/19

## राम कुमारी सोशल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट

### 1. परिभाषाएं

- |  |   |
|--|---|
| (क) न्यास का नाम                       | :- राम कुमारी सोशल वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट                              |
| (ख) न्यास का ट्रस्टी होंगे।            | :- संस्थापक/न्यासकर्ता मुख्य न्यासी                                     |
| (ग) मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी          | :- संस्थापक/न्यासकर्ता इस न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।     |
| (घ) पदाधिकारी                          | :- संस्थापक/न्यासकर्ता, शिक्षक एवं कोषाध्यक्ष न्यास के पदाधिकारी होंगे। |
| (ङ) प्रबंध समिति                       | :- पदाधिकारी सहित दो अन्य सदस्य प्रबंध समिति के सदस्य होंगे।            |
| (च) वर्ष                               | :- 01 अप्रैल से 31 मार्च तक।  |
| (छ) <b>नित्यानन्द शर्मा</b><br>Manager | :- ट्रस्ट एक्ट 1885 के अनुसूची के अनुसार                                |

**R.B.S PUBLIC SCHOOL**  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

**R.B.S. PUBLIC SCHOOL**  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)



## 2. सदस्यता

ट्रस्ट की सदस्यता के लिए विहित आवेदन संस्थापक/न्यासकर्ता के पदनाम आवश्यक सदस्यता शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। सदस्यता प्रदान करने के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता को अनुमति/स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। सदस्यता पाँच प्रकार का होगा।

1. न्यासी सदस्य :- संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष।
2. सधारण सदस्य कोई भी व्यक्ति जितनी आयु 18 वर्ष से अधिक होगी। वे सदस्य बनेंगे।
3. स्थाई सदस्य :- कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक होगी। वे सदस्य बनेंगे।
4. संस्थागत सदस्य:- कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।
5. संस्थापक सदस्य:- जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हो और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेंगे।

## 3. सदस्यता की संपाप्ति/विमुक्ति

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्काषित करने पर।
6. संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा निष्काषित करने पर।

## 4. न्यास प्रबंधन:-

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्या न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें पदाधिकारी सहित चार सदस्य होंगे प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर संस्थापक/न्यासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर ले।

विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ती को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्या न्यासी हो होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये जायेंगे।

न्यास के उद्देश्य पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगे:-

1. दान, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहायता, शि. धन, सम्पत्ति विशेष, संस्था, स्वीकृति संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना।

R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Derauli (Siwan)

Principal  
R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Derauli (Siwan)

निर्धारित रूप  
29/12/2016

2. समय-समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
3. न्यास के सम्पत्ति में वृत्तिद्ध करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर, ग्रामीण बैंक, मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।
4. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गांधी फाउन्डेशन बैंक, राष्ट्रयकृत बैंक, नवाड, कपार्ट विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक अनतराष्ट्रीय/राष्ट्रय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
5. न्यास के कोष/निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में देना।
6. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति किराये/लीज/पट्टे पर लेना एवं देना।
7. न्यास के नाम से बचत/चालू/आवर्ती जमा/अनावर्ती/जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचिका करना और खाता का संचालन संस्थापन/न्यासकर्ता या उनके द्वारा अधिकृति न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संशोधन हेतु बैंक/डाकघर को सूचित कराना।
8. न्यास का प्रतिनिधि करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियुक्ति करना/अधिकृत करना।
9. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/अंशकालिन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों/लपारवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।
10. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।
11. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान में सम्बद्ध होना, सम्बद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।
12. न्यास का स्थानान्तरण/हस्तान्तरण करना या देना।
13. न्यास के सम्पत्ति, कोष/निधि सनान उद्देश्य वाले संस्थान/स्वैच्छिक संगठन न्यास/ट्रस्ट को देना।
14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।
15. न्यास के आय-व्यय के लेखा जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।

नियम-5-2110  
29/11/19



R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 5 होगी।
18. संस्थापन/न्यासकर्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा।  
उनका कार्यकाल संस्थापन/न्यासकर्ता द्वारा तय किया जायेगा।
19. संस्थापन/न्यासकर्ता को समय-समय पर नियम बनाने परिवर्तन और संसोधन का अधिकारी होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेंगे।

#### 5. प्रबंध समिति का निर्वाचन:-

प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षों पर होगा। प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात् निर्वाचन के आधार पर होगा।

#### 6. प्रबंध समिति का अधिकार:-

पाँच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचित किये जाएंगे। शेष तीन सदस्य साधारण सदस्य, संस्थागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से, निर्वाचित किये जाएंगे।

#### पदाधिकारी के अधिकार आरैर कर्तव्य:-

##### 1. संस्थापक अध्यक्ष

1. संस्थापक अध्यक्ष के सर्वोच्च पदाधिकारी सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सुचना देना।
5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
6. आवश्यकता पड़ने पर निर्णयक मत देना या विवादाग्रस्त परिस्थिति में संस्थापन/न्यासकर्ता का निर्णय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।
7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत की किया जाएगा।
8. संस्थापक अध्यक्ष जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
9. संस्थापक अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सकें।
10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कि हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रोंपर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधिन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।
11. न्यास के सभी अगिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

12. न्यासी की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के निर्णयों के अन्तर्गत ही निर्णय लिए एजेंडों का क्रम बनाना।

**R.B.S. PUBLIC SCHOOL**  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

**Principal**  
**R.B.S. PUBLIC SCHOOL**  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

6/10/11/15  
29/12/19

- (घ) जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना।
- (ङ) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।
- (च) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।
- (छ) किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहुँचता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।
- (ज) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी।

5. प्रबंध समिति कि बैठक:-

- (1) साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और अपातकालिन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
- (2) प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महिने में एक बार होगी।
- (3) बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति कोरम माना जाएगा।
- (4) स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषयक पर विचार नहीं हो सकेगा।

6. आम सभा:

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यों यकी समिक्षा करना।
4. अंकिक्षिक आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकिक्षिक कि नियुक्ति करना।
6. अगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. अगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना।

7. असाधारण बैठक:-

संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अलस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकेगी है।

1. आपश्यकता अनुसार संस्थापक अध्यक्ष के सलाह पर।
2. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक कि मांग किये जाने पर।

**R.P.S. PUBLIC SCHOOL**  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)



**R.P.S. PUBLIC SCHOOL**  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

4/10/16  
R.P.S. PUBLIC SCHOOL

3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनींती नहीं दी जायेगी।
4. आम सभा की बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।
5. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
6. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी का विशेष दूत से दी जायेगी।

#### 8. मतदान,

सधारण मतदान हाथ उठा कर खुले आम किया जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठा कर खुले आम किया जाएगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

#### 9. कार्यालय,

पदाधिकारीयों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई भी बाधा नहीं रहेगी।

#### 10. रिक्त पदों की पूर्ति:-

प्रबंध कार्यकाल के लिये संस्थापक अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य का मनोयन कर सकते हैं।

#### 11. आय का स्रोत

7. न्यास के आय के निम्नलिखित स्रोत होंगे
8. (क) प्रवेश शुक्ल।
9. (ख) सदस्यता शुक्ल।
10. (ग) आजीवन सदस्यता शुक्ल।
11. (घ) दान एवं चन्दा
12. (ङ) अनुदान
13. (च) ऋण
14. (छ) उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से /चेरिटी शो के आयोजन/शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से।
15. (ज) सम्बद्धता शुक्ल एवं अन्य शुक्ल
17. (झ) विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जाएगी। निबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण कर सकते हैं।

निर्यातनंद झा  
Principal  
R.B.S PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

Principal  
R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

6/10/2016  
Principal

13. न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन

न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन एवं संशोधन मुख्य न्यायी द्वारा सहायक न्यायाधीशों की बैठक में उपस्थिति सदस्यों के साथ किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह रामकुमारी सोसल वेल्फेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के स्मृति पत्र एवं नियमावली की सखी प्रतिरिति है।

प्रकाश

1. राजेश कुमार  
के.के.के.  
उत्तरांचल विद्यालय सिवनी
2. शिवान-5 गंगा  
श्री 0 रामबुद्धा शर्मा  
बिकरेडी, पर्सिया  
23/12/2019

निरुपमा शर्मा  
Manager  
R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

BC Shri  
Principal  
R.B.S. PUBLIC SCHOOL  
Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)



## Endorsement of Certificate of Admissibility

Document is duly stamped ( or exempted from or does not require stamp duty ) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 5000/-  
 Additional Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 4000/-
Amt. paid through Bank Challan	Rs. 2395/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge	
A1	1020	C	0	H1b	0	K1a	0	LII	0	LLR	0	360	
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	LIII	0	Proc. Fee	0		
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	Total	0		
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0				
B	0	H1a	0	J2	0	LI	0						
<b>TOTAL-</b>												<b>1020</b>	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - **1380**

Date: 29/12/2014



### Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Siwan Sadar on Monday, 29th December 2014 by Nityanand Sharma Late Ram Briksh Sharma by profession Agriculture. Status - Trustee

*Nityanand Sharma*  
 29/12/2014  
 Date: 29/12/2014

Signature/L.T.I. of Presentant



### Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person ( Identified by 'Rajesh Rajak' age '21' Sex 'M', 'Feku Rajak', resident of 'Chitakhali, P.S. Guthani, Siwan' ), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 29/12/2014



### Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Siwan Sadar in Book 4 Volume No. 4 on pages on 103 -120 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-1 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document

Date : 29/12/2014

Token No. : 15335      Year : 2014      S.No. : 15143      SCORE Ver.3.0



*Nityanand Sharma*  
 Trustee  
**R.B.S. PUBLIC SCHOOL**  
 Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)

*Principal*  
**R.B.S. PUBLIC SCHOOL**  
 Tarwa Parsiya, Darauli (Siwan)